

प्रेषक,

जिला वैरिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

✓ प्रबन्धक,

शकुन्तला देवी पूनम देवी पब्लिक स्कूल
अनूपशहर, जिला—बुलन्दशहर।

पत्रांक / शिरोमणि / मान्यता / 14830-32 / 2013-14 दिनांक - 3-2-14

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31.08.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं शकुन्तला देवी पूनम देवी पब्लिक स्कूल अनूपशहर, जिला—बुलन्दशहर को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.01.2014 के प्रस्ताव संख्या में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाध्य 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिथति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर घरों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. नर्सरी/विद्यालय विली छैपटेशन शुल्क का संसाधन नहीं करेगा और किसी बालक का यह उसके नाता-पिता या सालक को किसी स्थितिग्रन्थिया के अध्यात्मीन मही करेगा।

(2)

6. विद्यालय निर्सी बालक को उत्तरांशी आयु या सामूहिक होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्युक्तों का पालन करेगा। विद्यालय निष्पक्षित सुनिश्चित करेगा :
 - (i) प्रवेश दिए गए निर्सी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, निर्सी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्पक्षित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) निर्सी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निर्सी भी बालक से कोई बोझ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार निःशक्तता गरता / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों यी भी अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और;
 - (viii) अध्यापक रख्यां को निर्सी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	- 6400 वर्ग मीटर
युल निर्भित क्षेत्र	- 1504 वर्ग मीटर
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	- 4896 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या	- 13
प्राध्यापक—सह—फार्मालिय—सह—भांडामार के लिए कक्षा —	3
बालक और यातिकाओं के लिए पृथक शौचालय — उपलब्ध हैं	
पैदलगत सुविधा	- उपलब्ध है।
गिड—डे मील पकाने के लिए रसोई	
आधारहित पहुंच	
अध्यापन पठन रामायामी/ क्रीड़ा खेलकूद उपरकरों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	

(3)

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या ब्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या— अंग्रेजी अस्थाई नंसरी व जूनियर-2 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।

भवदीय
४५/३१८५
(महेश चन्द्र)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
दुर्घटना - २०३०/३००
बुलन्दशहर

प०स०/शि०स०/

/2013-14 तददिनांक -

प्रतिलिपि-

1. राहायक शिक्षा निदेशक वैसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र अमरपाल
3. कार्यालय प्रति।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
दुर्घटना - २०३०/३००